**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 26**

**05.12.2013 को उत्तर के लिए**

**'दिल्ली में हरित क्षेत्र के संरक्षण हेतु कार्रवार्इ'**

**26. श्री बैष्णव परिडा :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्रीयहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशाल वन भूमि क्षेत्रों का कुछ व्यक्तियों/कंपनियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है और अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) क्या इस विषय में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुर्इ हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अवैध कार्यों को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवार्इ की गर्इ है;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम के विभिन्न मंडलों में ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु अपेक्षित कार्यक्षेत्र कर्मचारियों का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली तथा इसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरित क्षेत्र के संरक्षण हेतु कुछ कार्रवार्इ की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार (जीएनसीटीडी) से प्राप्‍त रिपोर्ट के अनुसार, वन एवं वन्‍यजीव विभाग, जीएनसीटीडी के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले वन क्षेत्र में ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं है।

(ख) उपर्युक्‍त के मद्देनजर प्रश्‍न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं हुई है। तथापि, वन एवं वन्‍यजीव विभाग, जीएनसीटीडी, लोक निर्माण विभाग, नई दिल्‍ली नगर परिषद, दक्षिणी दिल्‍ली नगर निगम, दिल्‍ली जल बोर्ड इत्‍यादि जैसे ग्रीनिंग अभिकरणों की भागीदारी से दिल्‍ली में वन क्षेत्र/हरित आवरण में वृद्धि करने और उसकी सुरक्षा करने के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है। यह विभाग, दिल्‍ली (वृक्ष परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के तहत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में वृक्षों की कटाई को भी विनियमित करता है। वनेतर क्षेत्रों में एक वृक्ष की कटाई की अनुमति प्रदान करने के एवज में दस वृक्षों के प्रतिपूरक वनीकरण की भी व्‍यवस्‍था है।

\*\*\*\*\*